दिनांक- 09.12.17

खण्डपीट-22

प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में इस खण्डपीठ

के समक्ष पेश।

राज्य द्वारा एडीपीओ उप०।

आरोपी राजेश सांधू छोटेलाल सहित अधिवक्ता श्री विकास कांकर उप0।

फरियादी रामसिया एवं आहत लालसिंह तथा जितेन्द्र उप0। फरियादी एवं आहतगण की पहचान अधि0 श्री पी0 के0 वर्मा द्वारा की गई।

> प्रकरण राजीनामा आवेदन पर आदेश हेतु नियत है। राजीनामा आवेदन पर विचार किया गया।

प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा द०प्र०सं० की धारा 320(2) के अंतर्गत राजीनामा आवेदन मय राजीनामा प्रस्तुत कर प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति चाही गई है।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में आरोपी राजेश बाथम के विरुद्ध भा०द०सं० की धारा 294, 323(2 शीर्ष), 325 एवं 506 भाग —2 तथा आरोपी छोटेलाल एवं साधू बाथम पर भा०द०सं० की धारा 294, 323, 323/34, 325 एवं 506 भाग—2 के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए हैं। आरोपीगण पर आरोपित अपराध शमनीय प्रकृति के हैं। फरियादी एवं आहतगण ने आरोपीगण से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा पक्षकारों के हित में है एवं लोकनीति के अनुरूप है। अतः उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं राजीनामा के आधार पर आरोपी राजेश बाथम को भा०दं०सं० की धारा 294, 323 (2 शीर्ष), 325 एवं 506 भाग—2 तथा आरोपी छोटेलाल एवं साधू को भा०दं०सं० की धारा 294, 323, 323/34, 325 एवं 506 भाग—2 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपीगण पूर्व से जमानत पर हैं अतः उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते है।

> प्रकरण मे जप्तशुदा कोई संपत्ति नहीं है। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार

भेजा जावे।

खण्डपीठ सदस्य. क.1– क 2-

> सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) पीठासीन अधिकारी खण्डपीठ कृ022 गोहद

ATTENDED TO THE PORT OF THE PARTY OF THE PAR

ATTENDA STANDA STANDARD STANDA